PC VI No. 126
RBE No 130 /2009

BHARAT SARKAR/GOVERNMENT OF INDIA
RAIL MANTRALAYA/MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/LE-1/2 **New Delhi, dated 15.07.2009.**

The General Managers / FA&CAOs,
All Indian Railways & Prod. Units etc.
(As per standard Mailing list)

Subject: Encashment of Leave on Half Average Pay (LHAP) on permanent absorption in Public Sector Undertakings (PSU)/ Autonomous Bodies- Regarding.

+++++

In terms of the instructions contained in this office letter of even number dated 8.10.2008, both Leave on Average Pay and LHAP are to be considered for encashment at the time of retirement, subject to the overall limit of 300 days.

2. The matter regarding applicability or otherwise of the instructions dated 8.10.2008 referred to above in cases of permanent absorption of railway employees in PSUs/Autonomous Bodies, has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training, the nodal Department of the Government in the matter, and it is clarified that the instructions dated 8.10.2008 ibid are not applicable in the case of permanent absorption of railway employees in PSUs/Autonomous Bodies. In other words, the existing provision of forfeiture of LHAP standing at the credit of such railway servants on absorption in PSUs/Autonomous bodies shall continue to be in force.

3. Please acknowledge receipt.

(Sunil Bhardwaj)
Deputy Director Finance(Estt.)III,
Railway Board.

—2/-

पीसी VI सं. 126
आरबीई सं. 130 /2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)III/2008/एलई-1/2 **नई दिल्ली, दिनांक: 15.07.2009**

महाप्रबंधक/विस एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत निकायों में स्थाई समाहन होने पर अर्ध औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में।

इस कार्यालय के 08.10.2008 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन छुट्टी और अर्ध औसत वेतन छुट्टी दोनों का 300 दिन की समग्र सीमा के अध्यधीन नकदीकरण किया जाना अपेक्षित है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों में रेल कर्मचारियों के स्थाई समाहन के मामलों में 08.10.2008 के उपर्युक्त संदर्भाधीन अनुदेशों को लागू करने अथवा न करने संबंधी मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो इस संबंध में सरकार का नोडल विभाग है, के साथ परामर्श करके जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि 08.10.2008 के उपर्युक्त अनुदेश रेल कर्मचारियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों में स्थाई समाहन के मामले में लागू नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों में समाहन पर ऐसे रेलसेवकों के खाते में उपलब्ध अर्ध औसत वेतन छुट्टी के समपहरण का मौजूदा प्रावधान ही लागू रहेगा।

3. कृपया पावती दें।

(सुनील भारद्वाज)
उप निदेशक वित्त (स्था)III,
रेलवे बोर्ड.